मध्य प्रदेश शासन
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

4743
14/12/10

क्रमांक 633 /2010/60 भोपाल दिनांक 02.12.2010

प्रति,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव
मध्य प्रदेश शासन
.... विभाग, भोपाल।

2. समस्त विभागाध्यक्ष
.... मध्यप्रदेश

3. अध्यक्ष/ प्रबंध संचालक
समस्त निगम/ मण्डल
म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. .... मण्डल/ निगम

4. समस्त संभागायुक्त
.... मध्यप्रदेश

5. समस्त कलेक्टर
जिला .... मध्य प्रदेश

विषय :— शासकीय/ अर्धशासकीय निगम/ मण्डल के कार्यालय एवं अन्य भवनों में अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट एवं ऊर्जा संरक्षण उपाय करने हेतु निर्देश।

राज्य शासन की मंशा है कि समस्त शासकीय/अर्धशासकीय निगम/मण्डल के कार्यालय एवं अन्य संस्थानों में वर्तमान में उपयोग की जा रही ऊर्जा के व्यय में प्रभावी कमी किये जाने हेतु ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही की जाये।

2/ हाल में विद्युत आपूर्ति की दरों में हुई वृद्धि के कारण कार्यालयों एवं अन्य भवनों में खपत की जा रही ऊर्जा के देयकों में लगभग 10.66 प्रतिशत की वृद्धि संभावित है। विद्युत दरों में हुई वृद्धि के प्रभाव को निष्प्रभावी किये जाने हेतु प्रत्येक कार्यालय एवं अन्य भवनों हेतु ऊर्जा खपत के देयक को न्यूनतम रूप से पूर्व वर्ष के ऊर्जा देयक के तुल्य रखे जाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

यह लक्ष्य ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न उपायों को क्रियान्वित कर एवं ऊर्जा दक्ष्य लेम्प/फिक्सचर एवं अन्य उपकरणों के उपयोग से प्राप्त किये जा सकते है।

3/ राज्य शासन इस परिपत्र में उल्लेखित श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा अपने कार्यालय अथवा अन्य भवनों में अनिवार्य ऊर्जा अंकेक्षण पूर्ण कराने तथा तदउपरान्त ऊर्जा संरक्षण हेतु अंकेक्षण उपरान्त प्रणाली में सुधार हेतु बनाई गई कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु यह निर्देश प्रसारित कर रहा है। प्रदेश के समस्त शासकीय/अर्धशासकीय/निगम/मण्डल आदि के कार्यालय एवं शासन से संबंध अन्य प्रतिष्ठान, वर्कशाप, प्रयोगशाला आदि जिनका वित्त वर्ष 2009–10 का वार्षिक ऊर्जा देयक रूपये पांच लाख से अधिक है, द्वारा ऊर्जा अंकेक्षण कराया जाना अनिवार्य है।

4/ इस संबंध में चरणवार निम्नानुसार कार्यवाई सम्पादित की जाना है :–

4.1 वर्ष 2009–10 में रूपये 5.0 लाख प्रतिवर्ष से अधिक ऊर्जा बिल वाले शासकीय/ अर्धशासकीय/निगम/मण्डल/स्वशायी उपभोक्ताओं द्वारा उनके कार्यालय का ऊर्जा अंकेक्षण कराया जायेगा।

4.2 इस हेतु ऊर्जा अंकेक्षकों (एनर्जी ऑडिटर) की पेनल तैयार कर पात्र कार्यालय/ भवनों को योग्य ऊर्जा अंकेक्षक उपलब्ध कराये जाने का उत्तरदायित्व मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम को सौंपा गया है।

4.3 समय–सीमा में कार्यवाही पूर्ण कराने एवं उसे एकरूपता से करने के लिए रूपये पांच लाख से पच्चीस लाख तक वार्षिक ऊर्जा देयक वाले समस्त उपर्युक्त उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा अंकेक्षण कराने हेतु 25 हजार एक मुश्त शुल्क निर्धारित किया गया है। 25 लाख से अधिक ऊर्जा वार्षिक देयक वाले उपभोक्ताओं हेतु ऊर्जा अंकेक्षण शुल्क 1% रखा गया है। इस व्यय को संबधित कार्यालय/विभाग को अपने बजट सीमा के अंतर्गत वहन करना होगा। ऊर्जा अंकेक्षक द्वारा सुझाई गई कार्य योजनाओं का गुण दोष के आधार पर आंकलन कर विभाग कार्यालय प्रमुख द्वारा रियायती दरों पर बैंक से ऋण प्राप्त कर क्रियान्वित करने की कार्यवाही सक्षम स्वीकृति के उपरान्त की जा सकती है।

5/ ऊर्जा अंकेक्षण कराये जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

5.1 प्रदेश के सभी जिलो में पांच लाख से अधिक वार्षिक ऊर्जा व्यय वाले समस्त उपभोक्ताओं के कार्यालय/विभाग प्रमुख/कार्यालय/संस्थानों के प्रभारी इस आदेश के जारी होने के 15 दिवस के अन्दर मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि. को ऊर्जा अंकेक्षण कराने हेतु विभागीय/कार्यालय मद से ऑडिट फीस के व्यय की सहमति का उल्लेख करते हुए अनुरोध पत्र भेजेंगे।

5.2 मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम उनके द्वारा पेनल बद्ध किये गये पात्र एनर्जी आडिटर्स में से योग्य ऊर्जा अंकेक्षक को अधिकृत करते हुए संबंधित कार्यालय प्रमुख को विस्तृत कार्यादेश जारी करने हेतु लिखेगा, जिसमें कार्य सम्पादित करने के नियमों एवं शर्तो का स्पष्ट उल्लेख रहेगा (समय-सीमाः पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर)

5.3 संबंधित ऑडिटर फर्म को कार्यादेश प्राप्त होने से तीन माह के अन्दर एनर्जी आडिट पूर्ण करना होगा।

5.4 उक्त कार्यवाही पूर्ण होने पर एनर्जी आडिटर संबंधित कार्यालय प्रमुख को विस्तृत रिपोर्ट सौंपकर दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुतीकरण करेगा। ऊर्जा संरक्षण की सुझायी गई स्कीम संतोषजनक पाये जाने पर संबंधित कार्यालय प्रमुख एनर्जी आडिटर को तदाशय का प्रमाण-पत्र जारी करेगा एवं 95 प्रतिशत राशि का भुगतान कर शेष 05 प्रतिशत राशि ऊर्जा विकास निगम को अग्रेषित करेगा।

6/ ऊर्जा अंकेक्षण की कार्यवाही एवं उसका प्रमाणीकरण पूर्ण होने पर कार्यालय प्रमुख रिपोर्ट में सुझाये गये उपायों का क्रियान्वयन अपने स्तर से करेंगे। क्रियान्वयन हेतु योजना के अन्तर्गत दो प्रकार से कार्यवाही की जायेगी :-

(1) अल्प व्यय से किये जाने वाले उपायों को एक माह में क्रियान्वयन किया जाये।

(2) अधिक व्यय की सक्षम स्वीकृति विभागीय प्रक्रिया अनुसार प्राप्त की जाकर आगामी तीन माह में क्रियान्वयन किया जाये।

7/ राज्य शासन की मंशा है कि न सिर्फ ऊर्जा अंकेक्षण निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराया जावे, अपितु अंकेक्षण में सुझाये गये उपायों पर कार्यालय प्रमुख की सहमति उपरांत समय-सीमा में क्रियान्वयन किया जावे। कार्यालय प्रमुख अंकेक्षण रिपोर्ट में सुझाए गए उपायों को क्रियान्वित करने की योजना को स्वीकृत करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना की कुल लागत राशि होने वाली बचत से अधिकतम चार वर्षो में पुर्न प्राप्त कर ली जावेगी एवं यह राशि वार्षिक विद्युत देयक की 25% से अधिक नहीं होगी।

8/ सम्पूर्ण कार्य के अनुश्रवण हेतु ऊर्जा विकास निगम द्वारा एक वेब पोर्टल तैयार किया जायेगा जिसमें संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा कार्य प्रगति की जानकारी वेब पोर्टल पर प्रविष्ट की जायेगी। इस संबंध में निर्देश पृथक से जारी किये जायेगें।

9/ शासन के विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा उनके विभाग के अंतर्गत आने वाले इस परिपत्र द्वारा निर्धारित ऊर्जा व्यय समय-सीमा

में आने वाले समस्त कार्यालय/वर्कशाप/प्रयोगशाला/निरीक्षण/भवन/होटल/गेस्ट हाऊस में अंकेक्षण व ऊर्जा संरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित समीक्षा करेंगें। प्रत्येक विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों के विषय में राज्य शासन द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001की धारा 18 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ1-01-2009/तेरह, दिनांक 17.02.2010 (छायाप्रति संलग्न) जो शासकीय/अर्धशासकीय भवनों में ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग एवं संरक्षण करने के विषय में जारी किया गया है, के प्रावधानों को भी लागू करेगा (अधिसूचना की प्रति संलग्न है)

10/ उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से एवं समय सीमा में पालन करने का दायित्व कार्यालय प्रमुख का होगा। विभागीय स्तर पर विभागाध्यक्ष, निगम/मण्डलों में प्रबंध संचालक तथा शासन स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव इन निर्देशों की सतत समीक्षा करेगें।

11/ नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन इन निर्देशों के परिपालन हेतु नोडल विभाग घोषित किया जाता है जो सर्वसंबंधित से जानकारी एकत्रित कर आवश्यकतानुसार कार्यवाही करेगा। परिपत्र के क्रियान्वयन हेतु आ रही व्यावहरिक कठिनाइयों के निराकरण हेतु नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग परिपत्र में अत्यावश्यक संशोधन विभाग स्तर पर कर सकेगा।

12/ यह परिपत्र सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(आलोक श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग